बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक ......6...... मई, 2010

विषयः– संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.07 की कंडिका–2 की उप कंडिका (2) एवं (11) के प्रावधानों के आलोक में कतिपय विभागों द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि का एक वर्ष से आगे पुनः नया नियोजन/ अवधि विस्तार के लिए मार्गदर्शन माँगा जाता है। कतिपय कार्य विभागों में यह विकास कार्यों के अनवरत रूप में चालू रखने के लिए आवश्यक भी है। अतः संविदा नियोजनों में कार्यहित में नये मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करने की अपेक्षा हो गयी है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत संबंधी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.07 के क्रम में, राज्य सरकार द्वारा, तुरत के प्रभाव से, निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं–

(क) उक्त संकल्प की कंडिका–2 (2) में एक परन्तुक निम्नानुसार जोड़ा जायेगा–

"परन्तु यह कि विशेष परिस्थिति में कार्यहित एवं जनहित में तथा नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्बता की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा उपर्युक्त के अनुसार संविदा पर नियोजित व्यक्तियों को पुनः एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए परिशिष्ट–1 में संलग्न एकरारनामा पुनः सम्पादित करना होगा और यह संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.07 के आलोक में एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जायेगा।"

(ख) उपर्युक्त संशोधित प्रावधान वर्ष 2009 में किये गये नियमित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन पर भी लागू होगा।

(ग) संकल्प सं० 2401 दिनांक 18.07.07 की कंडिका–2 (2) में अंकित अवधि सीमा संविदा नियुक्ति के लिए ही सृजित पदों पर नहीं लागू होगी। इस पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग निर्णय ले सकेगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6/5/10

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 3/एम0–31/2010 – 1718 पटना, दिनांक 6 मई, 2010

प्रतिलिपि– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

6/5/10

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 3/एम0–31/2010 – 1718 पटना, दिनांक 6 मई, 2010

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/10

सरकार के उप सचिव